न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010027462026

Sessions Case/341/2026

State of U.P. Vs. Anuj Urph Leele

सत्र परीक्षण संख्या 341/2026

सरकार बनाम अनुज उर्फ लीले पुत्र प्रेमसिंह

मु0अ0सं0 260/2025
अ0 धारा 65(2), बी0एन0एस0
व 5–एम/6 पोक्सो एक्ट,
थाना बहादुरगढ,जिला हापुड।

17.07.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अनुज उर्फ लीले पुत्र प्रेमसिंह जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त अनुज उर्फ लीले पुत्र प्रेमसिंह के विरूद्ध धारा 65(2), बी0एन0एस0 व 5–एम/6 पोक्सो एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 31.07.2026 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 17.07.2026

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.18 16:48:56 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010027462026

Sessions Case/341/2026
State of U.P. Vs. Anuj Urph Leele
सत्र परीक्षण संख्या 341/2026

सरकार बनाम अनुज उर्फ लीले पुत्र प्रेमसिंह

मु0अ0सं0 260/2025
अ0 धारा 65(2), बी0एन0एस0
व 5–एम/6 पोक्सो एक्ट,
थाना बहादुरगढ,जिला हापुड।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त अनुज उर्फ लीले पुत्र प्रेमसिंह पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 21.10.2025 को समय करीब 5.00 बजे शाम कब्रिस्तान ग्राम बहादुरगढ बहद थाना बहादुरगढ, जिला हापुड़ में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री /पीडिता ''एम'' उम्र करीब 09 वर्ष से अधिक (12 वर्ष से कम) से बलात्संग किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 65(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री /पीडिता ''एम'' उम्र करीब 09 वर्ष से अधिक (12 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 5N/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 17.07.2026
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 17.07.2026